न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(रजनी मीणा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

संख्या :– 86/2020

दिनांकः– 09.10.2020

खुराजसिंह पुत्र जोरसिंह जाति राजपूत निवासी उनियारी तहसील उनियारा जिला टोंक — प्रार्थी

बनाम

1. गणपतसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत निवासी उनियारी तहसील उनियारा जिला टोंक
2. जोरेन्द्रसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत निवासी उनियारी तहसील उनियारा जिला टोंक
3. पन्ना बाई पुत्री कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी उनियारी तहसील उनियारा जिला टोंक
4. नारायणसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी उनियारी तहसील उनियारा जिला टोंक
5. लाडकंवर पत्नि तेजसिंह जाति राजपूत निवासी उनियारी तहसील उनियारा जिला टोंक
6. श्रीमती रूकमणी देवी पत्नि विजयनारायण जाति माली निवासी वार्ड न0 12 उनियारा तह0 उनियारा
7. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा पलाई जिला टोंक
8. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर शाखा जयपुर जिला टोंक
9. तहसीलदार उनियारा जिला टोक — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री सुरेन्द्र नागर वकील प्रार्थी
श्री मुजम्मिल सारन वकील अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 62 ख0न0 184 रकबा 1.20 है0 वाके ग्राम उनियारी तहसील उनियारा मे स्थित है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजी के सटवा उत्तर व पूर्व दिशा की तरफ ख0न0 183 रकबा 1.13 है0 ख0न0 392/200 रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम उनियारी की आराजी स्थित है तथा ख0न0 148 मे नहर व उसकी रोड सिचाई विभाग उनियारा के नाम दर्ज है। जिस रास्ते मे होकर आस–पास खेतों वाले व्यक्ति उनकी खातेदारी मे आते–जाते है। मौके पर नहर का डामर रोड बना हुआ है। प्रार्थी अपने पुर्वजों के समय से खातेदारी भूमि पर प्रार्थी के पश्चिम दिशा की तरफ के ख0न0 183 व ख0न0 392/200 जो अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है जिसकी मेड में होकर प्रार्थी स्वयं व आराजी पर आते–जाते है तथा इसी रास्ते मे होकर प्रार्थी अपने ट्रैक्टर ट्रोली व कृषि उपकरण उत्यादि ले जाते रहे है।

प्रार्थी अपने खातेदारी की भूमि पर ट्रैक्टर लेकर हकाई जुताई करने जाने लगा तो प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थी को पूर्वजों के समय से निकल रहे रास्ते से आने–जाने नही दिया तथा काटों की बाड लगाकर रोक दिया जिससे प्रार्थीगण के खेत मे आने जाने के रास्ते को बन्द कर देने के कारण प्रार्थी का अपने खेत पर आना ही बंद हो गया है। उक्त आराजी पर आने जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई भी रास्ता नही है। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या ख0न0 184 रकबा 1.20 है0 वाके ग्राम उनियारी तहसील उनियारा आने जाने के लिये ख0न0 184 आराजी ख0न0 183 रकबा 1.13 है0 ख0न0 392/200 रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम उनियारी मे से उ पश्चिम दिशा की मेड पर होकर पश्चिम दिशा की तरफ 12 फीट चौडा और 30 फीट लम्बा रास्ता प्रा

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Srevenue251a98

A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

जाने की आदेश प्रदान करते हुए करते हुये प्रार्थी को नियमानुसार डी.एल.सी. रेट के अनुसार राशि
खवाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिपक्षीगण की
से विद्वान अधिवक्ता श्री मुजम्मिल सारन ने वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पेश किया कि प्रार्थी एवं
क्षीगण के खेत एक ही सीमा मेड पर बने हुए है और प्रार्थी के रिश्तेदारो के खेत भी आपसी मेड सीमा
हुए है। प्रार्थी प्रतिपक्षीगण के खेतों पर आने जाने के लिए गलवा नहर की पुलिया पर से माईनर बना
है और माईनर पर लगभग 5 से 10 फिट खुला व स्वतंत्र रास्ता है, जिस पर से प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण
आधा दर्जन खेतो के काश्तकार बगैर रोकटोक वर्षो से उक्त रास्ते से आ जा रहे है और इसका
–उपभोग कर रहे है। प्रार्थी के रास्ते में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नही है। प्रार्थी ने स्वयं ने ही
रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया है और टाटी लगा रखी है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश किया प्रार्थना पत्र पूर्ण
से मिथ्या तथ्यों पर पेश किया गया है, जिसमें कई तथ्य छिपाये गये है। प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज फरमाया जावें।
जरबार व परेशान करने की नियत से पेश किया है, अतः प्रार्थना पत्र महज प्रतिपक्षीगण

उक्त प्रकरण में तहसीलदार उनियारा ने मौका रिपोर्ट तलब की गई मुताबिक मौका रिपोर्ट आराजी
0 184 रकबा 1.20 है0 वाके ग्राम उनियारी मे जाने के लिए रास्ता दर्ज रिकार्ड नही हैं। प्रार्थी द्वारा
ने आराजी पर आने–जाने के लिए चाहा गया रास्ता 183 व ख0न0 382/200 की मध्य मेड से है जिसकी
ई लगभग 14 मीटर है। एवं प्रार्थी द्वारा पुर्व मे अपने आराजी ख0न0 184 आने–जाने के ख0न0 281 मे
ख0न0 182, व 183 के सटीक मेड से जाता था।

उभय पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिपक्षीगण अधिवक्ता ने मौंका रिपोर्ट प्रतिपक्षीगण की
स्थिति में बनाये जाने हेतु निवेदन किया । तहसीलदार उनियारा से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई ।
का रिपोर्ट अनुसार प्रतिपक्षीगण ने हस्ताक्षर करने से मना किया । मौका रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा प्रार्थी अपने
राजी पर आने–जाने के लिए चाहा गया रास्ता 183 व ख0न0 382/200 की मध्य मेड से है जिसकी
ई लगभग 14 मीटर है एवं प्रार्थी द्वारा पुर्व मे अपने आराजी ख0न0 184 आने–जाने के ख0न0 281 मे से
ख0न0 182, व 183 के सटीक मेड से जाता था।

उभय पक्षों के अधिवक्ता की पुनः बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध
स्तावेजो व बहस का मनन किया गया। प्रतिपक्षीगण के वकील ने दिये जाने वाले रास्ते के बारे मे कोई
ण्डन प्रस्तुत नही किया है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि पर आने जाने के लिये वांछित
स्ते के अलावा अन्य कोई सुलभी रास्ता नही है। तहसीलदार उनियारा की रिपोर्ट अनुसार ख0न0 184 मे
ने जाने के लिये ख0न0 1183 एवं 392/200 मे से होकर लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ता दिखाया गया है,
इसके अलावा ओर कोई सुलभी रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने के लिये सुलभी
स्ता दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को उनकी खातेदारी की भूमि ख0न0 184 मे आने जाने के लिये
राजी ख0न0 183 रकबा 1.13 है0 एवं ख0न0 392/200 रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम उनियारी की मध्य की
ड 4 मीटर चोडा रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को उनकी खातेदारी की भूमि ख0न0 184 मे आने
ने के लिये आराजी ख0न0 183 रकबा 1.13 है0 एवं ख0न0 392/200 रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम
उनियारी की मध्य की मेड से 4 मीटर चोडा रास्ता दिया जाकर तहसीलदार उनियारा को निर्देशित किया
जाता है कि उक्त रास्ते कि लम्बाई, चौडाई नाप कर राजस्थान स्टाम्प नियम के तहत गठित जिला स्तरीय
समिति द्वारा निर्धारित भूमि कीमत की दौ गुनी राशि अप्रार्थीगण को दिया जावे। उक्त आदेशानुसार रास्ते
का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाये। रास्ता सिर्फ प्रार्थी के लिये उपयोग हेतु नही होकर
सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। .फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
(रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Revenue251a99